न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 24/2013/दावा/बउनवान/कृष्ण चन्द बनाम मदनलाल
जीसीएमएस संख्या 2013/00114

1. कृष्ण चन्द शर्मा पुत्र सूरजमल जाति ब्राह्मण निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां

......वादी

बनाम

1. मदनलाल पंचोली पुत्र रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी तलवण्डी कोटा जिला कोटा (मृतक)
   1/1. सुरेन्द्र पुत्र स्व. मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी तलवण्डी कोटा
   1/2 महेन्द्र पुत्र स्व. मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी तलवण्डी कोटा
   1/3 माला पत्नि स्व. राजेश जाति ब्राह्मण निवासी तलवण्डी कोटा
   1/4 नयन (नाबालिग) पुत्र स्व. राजेश जरिये वली माता माला पत्नि स्व. राजेश जाति ब्राह्मण निवासी तलवण्डी कोटा
2. ओम प्रकाश शर्मा पुत्र रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी केशोरायपाटन जिला बून्दी
3. हरिप्रकाश पंचोली पुत्र रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी किशनगंज जिला बारां (मृतक)
   3/1 शेलेन्द्र पुत्र
   3/2 लता पुत्री
   3/3 चन्द्रेश पुत्री
   3/4 नीतू पुत्री
   3/5 राजेश पत्नि
   } स्व. हरिप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी किशनगंज जिला बारां
4. नरेन्द्र कुमार
5. राजेन्द्र कुमार
6. सुरेन्द्र कुमार
7. किशन कंवर
   } पिसरान मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल जिला बारां
8. रूकमणी बाई पत्नि दूलीचन्द जाति ब्राह्मण निवासी निवासी नागदा तहसील श्योपुर (म.प्र.)
9. मंजू बाई पत्नि सतीश जाति ब्राह्मण निवासी गायत्री सदन तेल फैक्ट्री बारां (मृतक)
   9/1 राधे उर्फ राधा पुत्री
   9/2 दिनेश उर्फ देवा पुत्र
   9/3 मेघा पुत्री
   } सतीश जाति ब्राह्मण निवासी बारां
10. चन्दाबाई पत्नी ओमप्रकाश जाति बाह्मण निवासी केशोरायपाटन तहसील पाटन जिला बून्दी
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट0

वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा
वकील प्रतिवादीगण : श्री अवधेश गौतम

दायरा दिनांक: 21.03.2013 निर्णय दिनांक: 22.04.2025

निर्णय

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण के कब्जे व संयुक्त खाते की कृषि भूमि वाके माल भटवाडा तहसील मांगरोल में खाता संख्या 14 खसरा नं. 692 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 696/1593 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 697 रकबा 0.34 है0, खसरा नं. 702 रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 703 रकबा 0.17 है0, खसरा नं. 1072 रकबा 1.14 है0, खसरा नं. 1073 रकबा 0.73 है0, खसरा नं. 1262 रकबा 1.21 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.96 है0 दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार वाके माल जलोदा तेजाजी में खाता संख्या 34 खसरा नं0 394 रकबा 0.44 है0 व खाता संख्या 156 पर खसरा नं0 102 रकबा 6.04 है0 स्थित है जिनमें वादी का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। यह कि वादी व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 9 पारिवारिक सैटलमेन्ट के आधार पर गत 50 वर्षो से इस प्रकार काबिज काश्त है कि ग्राम भटवाडा की सम्पूर्ण आराजी सहित जलोदा तेजाजी की 7 बीघा 14 बिस्वा पर वादी काबिज है शेष जलोदा तेजाजी की 1/2 आराजी पर प्रतिवादी नं0 1 लगायत 9 काबिज काश्त है और बिना किसी विवाद के इसी प्रकार खेती करते रहे हैं। वादी भटवाडा में खुद काश्त करता है तथा जलोदा तेजाजी में सहखातेदारान से मुनाफा काश्त करता है। यह कि प्रतिवादीगण कर्ता पिलाई धोरे रास्तों को लेकर कुछ समय से मननुटाव रखने लगे हैं, विवाद करते हैं। इस कारण वादी अब अपना खाता पृथक दर्ज करवाना चाहता है जिसका वादी कानूनी अधिकारी है। यह कि वादी अनावश्यक विवादों से बचने के लिये अपना खाता नय नक्शा रास्ता धोरा कर्ता पिलाई पृथक दर्ज करवाना चाहता है तथा भविष्य में सहखातेदारान से विवादों से बचना चाहता है। इस कारण खाता विभाजन आवश्यक है। यह कि वादी व प्रतिवादीगण के बीच अब संयुक्त खाता रखना संभव नहीं है। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा कृषि वर्ष 2012–13 में मुनाफा काश्त राशि को लेकर विवाद बमुकाम जलोदा तेजाजी में उत्पन्न हुआ है। इस कारण वाद वास्ते बंटवारा खाता विभाजन माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। यह कि प्रतिवादी नं0 10 को भू–धारक होने से वाद का आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिसके खिलाफ कोई रिलीफ नहीं चाही गयी है। यह कि वाद वास्ते बंटवारा खाता विभाजन वाद मूल्यांकन 400 रूपये किया जाकर वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि सादर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे–

1. कि खाता संख्या 14 वाके माल भटवाडा किता 8 रकबा 3.96 है0 को कब्जे के आधार पर वादी के खाते दर्ज किया जावे।

2. कि खाता संख्या 156 वाके माल जलोदा तेजाजी किता 1 रकबा 6.04 है0 में से शेष हिस्सा वादी के खाते पृथक दर्ज किया जावे तथा धोरा, रास्ता, कर्ता–पिलाई, नक्शा भी पृथक दर्ज की जावे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 21.03.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादी कम 1 ता 9 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया । वाद पत्र की मद नं0 1 आंशिक स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 ता 5 अस्वीकार है। पारिवारिक बंटवारे में वादी ने भटवाडा की सिंचित भूमि पर कब्जा काश्त होना स्वीकार किया। प्रतिवादीगण कम 1 ता 9 को जलोदा तेजाजी की असिंचित भूमि पर काबिज काश्त रहे व लाखो रूपयों का खर्चा कर भूमि को कृषि योग्य बनाया।

जवाब दावा में प्रतिवादीगण द्वारा विशेष कथन वर्णित किये गये जो निम्नानुसार हैः–

1. यह कि वादी जलोदा तेजाजी की भूमि पर यदि पांती लेता है, तो प्रतिवादीगण नं0 1 ता 9 भी भटवाडा की आराजी में आज तक के मुनाफा हिस्सा सहित हिस्सा आराजी भी लेने के कानूनी अधिकारी हैं।
2. यह कि संयुक्त खाता आराजी में मुताबिक पारिवारिक विभाजन गत 50 वर्षो से पृथक काबिज काश्त वादी व प्रतिवादी नं. 1 ता 9 रहे है जबकि भटवाडा में स्थित भूमि उत्तम किस्म नहरी रही है जिसमें उपज मुनाफा वादी लेता रहा है, जबकि प्रतिवादी नं. 1 ता 9 जलोदा तेजाजी की असिंचित भूमि पर भू–सुधार हेतु जीवन भर संघर्ष कर आय को भूमि में लगाते रहे है, तब जाकर भूमि कृषि योग्य वर्तमान स्थिति में आई है ऐसे में वादी का वाद बंटवारा खारिज योग्य है।

प्रस्तुत वाद पत्र जवाब दावा तथा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

<u>तनकी न0 1 :–</u> **आया राजस्व भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां के वाद की मद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बरान कुल 8 रकबा 3.96 है0 पर खातेदार घोषित होने का हकदार है।**

<u>तनकी न0 2 :–</u> **आया राजस्व ग्राम जलोदा तेजाजी के खसरा नं0 102 रकबा 6.04 है0 पर 1/2 हिस्से पर पृथक खातेदार कराने का हकदार है।**

<u>तनकी न0 3 :–</u> **आया मद 1 में वर्णित कुल किता 8 रकबा 3.96 है0 पर हिस्से अनुसार मुनाफा हिस्सा लेने का हकदार है।**

<u>तनकी न0 4 :–</u> **आया राजस्व ग्राम जलोदा तेजाजी के खसरा नं0 102 रकबा 6.04 है0 पर वादी का वाद खारिज योग्य है।**

साक्ष्य वादी करवाये गये जिसमें स्वयं वादी, भंवरलाल पुत्र कल्याण जाति राठी निवासी भटवाडा एवं बद्रीलाल पुत्र गोबरीलाल जाति माली निवासी भटवाडा के बयान लेखबद्ध करवाये गये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी द्वारा मृतक प्रतिवादी क्रम 1, मृतक प्रतिवादी क्रम 3 एवं मृतक प्रतिवादी क्रम 9 के कायम मुकामान पेश करने पर प्रतिवादी क्रम 1, 3 व 9 के कायम मुकामान रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी क्रम 1, 3 व 9 के कायममुकामान की तलबी की गई । बावजूद सूचना प्रतिवादी क्रम 1/1, 1/3, 1/4, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी क्रम 1/1, 1/3, 1/4, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी क्रम 1/2, 9/1, 9/2 व 9/3 की तलबी अखबार साया (दैनिक नवज्योति) के माध्यम से की गई। अखबार साया के माध्यम से नोटिस प्रकाशित होने पर भी प्रतिवादी क्रम 1/2, 9/1, 9/3 व 9/3 अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी क्रम 1/2, 9/1, 9/3 व 9/3 के विरूद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील वादी का मुख्य तर्क रहा कि वादी व प्रतिवादी नं. 1 ता 9 पारिवारिक सैटलमेन्ट के आधार पर गत् 50 सालों से इस प्रकार काबिज काश्त है कि ग्राम भटवाडा की सम्पूर्ण आराजी सहित जलोदा तेजाजी की 7 बीघा 14 बिस्वा पर वादी काबिज है शेष जलोदा तेजाजी की 1/2 आराजी पर प्रतिवादी नं0 1 ता 9 काबिज काश्त है। वादी भटवाडा में खुद काश्त करता है तथा जलोदा तेजाजी में सहखातेदारान से मुनाफा काश्त करता है। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:-

<u>तनकी न0 1 :-</u> **आया राजस्व भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां के वाद की मद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बरान कुल 8 रकबा 3.96 है0 पर खातेदार घोषित होने का हकदार है** :- इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी वाके माल भटवाडा तहसील मांगरोल में खाता संख्या 14 खसरा नं. 692 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 696/1593 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 697 रकबा 0.34 है0, खसरा नं. 702 रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 703 रकबा 0.17 है0, खसरा नं. 1072 रकबा 1.14 है0, खसरा नं. 1073 रकबा 0.73 है0, खसरा नं. 1262 रकबा 1.21 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.96 है0 में वादी का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकॉर्ड है। चूंकि वाद धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत लाया गया है जिसमें खातेदारी अधिकार देने का प्रावधान नहीं है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में अस्वीकार की जाती है। **वादी**

तनकी नं0 2 :— **आया राजस्व ग्राम जलोदा तेजाजी के खसरा नं0 102 रकबा 6.04 है0 पर 1/2 हिस्से पर पृथक खातेदार कराने का हकदार है** :— इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी वाके माल जलोदा तेजाजी में खाता संख्या 34 खसरा नं0 394 रकबा 0.44 है0 एवं खाता संख्या 156 पर खसरा नं0 102 रकबा 6.04 है0 में वादी का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकॉर्ड है। चूंकि वादी अपना हिस्सा पृथक कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष स्वीकार की जाती है। **वादी**

तनकी न0 3 :— **आया मद 1 में वर्णित कुल किता 8 रकबा 3.96 है0 पर हिस्से अनुसार मुनाफा हिस्सा लेने का हकदार है** :— इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण को था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी वाके माल भटवाडा तहसील मांगरोल में खाता संख्या 14 खसरा नं. 692 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 696/1593 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 697 रकबा 0.34 है0, खसरा नं. 702 रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 703 रकबा 0.17 है0, खसरा नं. 1072 रकबा 1.14 है0, खसरा नं. 1073 रकबा 0.73 है0, खसरा नं. 1262 रकबा 1.21 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.96 है0 में प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकॉर्ड है। चूंकि वाद धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत लाया गया है जिसमें मुनाफा हिस्सा दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में अस्वीकार की जाती है। **प्रतिवादीगण**

तनकी न0 4 :— **आया राजस्व ग्राम जलोदा तेजाजी के खसरा नं0 102 रकबा 6.04 है0 पर वादी का वाद खारिज योग्य है** :— इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण को था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी वाके माल जलोदा तेजाजी में खाता संख्या 34 खसरा नं0 394 रकबा 0.44 है0 एवं खाता संख्या 156 पर खसरा नं0 102 रकबा 6.04 है0 में वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2 — 1/2 दर्ज रिकॉर्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपना—अपना हिस्सा पृथक कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष स्वीकार की जाती है। **प्रतिवादीगण**

वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय में तहसील मांगरोल से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद दौराने दावा प्रतिवादी कम 2 ओमप्रकाश पुत्र रामगोपाल ने वाद में वर्णित आराजी में से अपने हिस्से का रजिस्टर्ड दान अपनी पत्नी चन्दाबाई पत्नी ओमप्रकाश के नाम कर दिया है जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो चुका है। खाता विभाजन में प्रत्येक खातेदार का पक्षकार होना आवश्यक है इसलिए खातेदार चन्दाबाई पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी केशोरायपाटन का पक्षकार प्रतिवादी बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर चन्दाबाई पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी केशोरायपाटन को प्रतिवादिया के रूप में पक्षकार बनाया जाता है।

वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त की। तहसील से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव में प्रत्येक खसरा नम्बरान से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वादी ग्राम भटवाडा की सम्पूर्ण आराजी व ग्राम जलोदा तेजाजी की आंशिक आराजी पर अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है।

समेकन/चकबंदी नियम अनुसार कृषि भूमियों को एक ही स्थान पर दिया जाना सभी सह खातेदारान के लिए सुविधाजनक एवं न्यायोचित है जिससे खातेदारानों की भूमियों के अलग–अलग टुकडे होने से बचाया जा सकता है तथा कृषि भूमियों को एक स्थान पर पुनर्नियोजित किया जा सकता है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज वादी एवं प्रतिवादीगण को कृषि भूमियों को एक ही स्थान पर दिया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं वकील पक्षकारान की बहस से सहमत होते हुए दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके माल भटवाडा तहसील मांगरोल में नया खाता संख्या 17 पुराना खाता संख्या 16 खसरा नं. 692 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 696/1593 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 697 रकबा 0.34 है0, खसरा नं. 702 रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 703 रकबा 0.17 है0, खसरा नं. 1072 रकबा 1.14 है0, खसरा नं. 1073 रकबा 0.73 है0, खसरा नं. 1262 रकबा 1.21 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.96 है0, वाके माल जलोदा तेजाजी में नया खाता संख्या 37 पुराना खाता संख्या 34 खसरा नं0 394 रकबा 0.44 है0 एवं वाके माल जलोदा तेजाजी में नया खाता संख्या 166 पुराना खाता संख्या 156 खसरा नं0 102 रकबा 6.04 है0 आराजी में वर्तमान जमाबंदी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2, 1/2 पृथक–पृथक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। समेकन/चकबंदी नियम अनुसार कृषि भूमियों को एक ही स्थान पर दिया जाना सभी खातेदारान को सुविधाजनक एवं न्यायोचित होने के उद्देश्य से तहसीलदार मांगरोल पक्षकारान की शामलाती खाते की आराजी मौके, कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा कर विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रस्तुत करे।

उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर बंटवारा स्कीम तहसीलदार मांगरोल से मंगवाने हेतु तहरीर जारी की गई।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर शीघ्र सुनवाई हेतु निवेदन करने पर पत्रावली आज दिनांक 22.04.2025 को पेश हुई। तहसीलदार मांगरोल के पत्र कमांक राजस्व/2024/136 दिनांक 18.03.2025 से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है:-

वादी

नाम खातेदार	**ग्राम**	**खसरा नं.**	**रकबा (है0)**	**दिशा**
1.कृष्णचन्द पुत्र सूरजमल जाति ब्राह्मण सा. भटवाडा खातेदार रहन BRKGB बैंक शाखा बोहत	भटवाडा	1072	1.14	सम्पूर्ण
		1073	0.73	सम्पूर्ण
		1262	1.21	सम्पूर्ण
		692	0.14	सम्पूर्ण
		696/1593	0.31	सम्पूर्ण
		697	0.34	सम्पूर्ण
		702	0.10	सम्पूर्ण
		703	0.17	सम्पूर्ण
	जलोदा तेजाजी	102	1.26	दक्षीणी–पूर्वी
	किता	9	5.22	

प्रतिवादीगण

नाम खातेदार	**ग्राम**	**खसरा नं.**	**रकबा (है0)**	**दिशा**
2.किशनकंवर पुत्री मोहनलाल हि. 1/24, चन्दा बाई पत्नी ओमप्रकाश निवासी केशोरायपाटन तह. केशोरायपाटन जिला बून्दी हि. 1/4, नमन पंचोली पुत्र राजेश हि. 1/24, नरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल हि. 1/24, मंजू पुत्री मोहनलाल हि. 1/24, महेन्द्र पुत्र मदनलाल हि. 1/6, माला पंचोली पत्नी स्व. राजेश हि. 1/24, रूकमणी पुत्री मोहनलाल हि. 1/24, राजेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल हि. 1/24, सुरेश कुमार पुत्र मोहनलाल हि. 1/24, हरिप्रकाश पुत्र रामगोपाल हि. 1/4 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदा	जलोदा तेजाजी	102	4.78	उत्तरी
	किता	1	4.78	

प्रतिवादीगण

नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (है0)	दिशा
3.किशनकंवर पुत्री मोहनलाल हि. 1/24, चन्दा बाई पत्नी ओमप्रकाश हि. 1/4 निवासी पाटन तह. पाटन जिला बून्दी, नरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल हि. 1/24, मदनलाल पुत्र रामगोपाल हि. 1/24, मन्जू पुत्री मोहनलाल हि. 1/24, रूकमणी पुत्री मोहनलाल हि. 1/24, राजेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल हि. 1/24, सुरेश कुमार पुत्र मोहनलाल हि. 1/24, हरिप्रकाश पुत्र रामगोपाल हि. 1/4 जाति ब्राह्मण सा. देह	जलोदा तेजाजी	394	0.44	सम्पूर्ण
	किता	1	0.44	

उक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करने हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। उक्त आशय की डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।